Serial No. 4348 Circle:-:NA Book No. :- 4 Deed No. 22

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR
Serial No. 4348

N 171629
Deed No. 22

दयानन्द श्रीवास्तव
मुद्रांक विक्रेता

TREASURY OFFICER
KAIMUR (BHABUA)

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर
पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **01/07/2015** को Chama Devi द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रू0 **6000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **3560** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। निष्पादकों/ व्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **22** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **1** के पृष्ठ सं0 **306** से **333** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **28** पृष्ठों में संधारित किया गया।

आर0 के0 झा
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक 01/07/2015 4516/2015

"गौरव"

(मेमोरियल ऐजुकेशनल एंव वेलफेयर ट्रस्ट)

(GAURAV MEMORIAL EDUCATIONAL & WELFARE TRUST)

न्यास – पत्र

हम कि चम्पा देवी, पति ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्रा०+पो०-छाता, थाना-दुर्गावती, जिला-कैमूर (भभुआ) बिहार के हैं, मानव होने के नाते हमने परोपकार एवं जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर प्रबंधक की हैसियत से एक सामाजिक एवं शैक्षणिक न्यास का नाम ''गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट'' रख रहे हैं। यदि इस नाम के अन्य न्यास/संस्थान से एकरूपता हो रही है तो यह महज एक संयोग होगा।

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015
ब्रजकिशोर

District Registry Office,Kaimur

Token Number 4516 | Reg. Year 2015 | Serial Number 4348 | Deed Number 22

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Beneficiary	Gaurav Memorial Educational & Welfare Trust	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.							
Trustee	Brij Kishor						
Sig.	बृजकिशोर						
	Champa						
Presented By	~~Chama~~ Devi चम्पा देवी						
Sig.	Champa						
Trustee	~~Chama~~ Devi	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.	चम्पा देवी						
Trustee	Jitendra Singh						
Sig.	Jitendra Bahadur Singh						
Identified By	Dhananjay Singh						
Sig.							

SCORE Ver.3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By

न्यास का संचालक :-

"गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट " का संचालन करने के लिए क्रमंश प्रबंधक-सह-अध्यक्ष एवं सदस्यगण रहेंगे, जिसमें

(१) श्रीमती चम्पा देवी, पति ओम प्रकाश सिंह
निवासी ग्राम+पोस्ट-छाता, थाना-दुर्गावती,
जिला-कैमूर (भभुआ) बिहार 'प्रबंधक-सह-अध्यक्ष'

(२) श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, पिता-वंसत सिंह
निवासी अ०स०59/1,टकटकपुर(आंशिक) टकटकपुरअंश
जिला-वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) 221003 'सदस्य'

(३) श्री बृज किशोर, पिता-श्री वंशी राम
निवासी ग्राम-ख्यालगढ़, पोस्ट-लोनदा,
जिला-चन्दौली, (उत्तर प्रदेश) 'सदस्य'

न्यास का मुख्यालय :-

"गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट" का मुख्यालय तथा कार्यकारी कार्यालय ग्राम-छाता, थाना-दुर्गावती, जिला-कैमूर (भभुआ) बिहार होगा।

न्यास का प्रारम्भीक राशि :-

"गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट " नामक न्यास की स्थापना प्रबंधाक की हैसियत से हम १,००,००० (एक लाख रू० मात्र) से कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अन्य सहयोगी न्यासीगण इस न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस धनराशि को बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे।

चम्पा देवी
1/7/2015
Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015
बृजकिशोर
1-7-15

इस न्यास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

न्यास का उद्देश्य :-

शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य :-

१. शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम के प्राइमरी स्तर से लेकर इण्टरमीडिएट आवश्यक होने पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर इत्यादि स्थापित करना एवं उसके लिए शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु पुस्तकालय, वाचनालय आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

२. बेरोजगार एवं निर्धन तथा जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना।

३. इंजिनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पॉलिटेक्निक एवं इंजिनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज तथा प्रबंध संस्थान खोलना एवं प्रबंध करना।

४. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना।

५. विधि महाविद्यालय खोलना एवं उसका प्रबंधन करना।

६. ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथीक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल संस्थान, डेन्टल कॉलेज की स्थापना करना तथा इन कॉलेजों के संचालन हेतु मानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना एवं उन्हें संचालित करना।

७. व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र खोलना तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

८. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय, की स्थापना एवं संचालित करना।

९. विद्यालयों, कॉलेजों तथा ऐसे संस्थानों जो विकलांग बच्चों को सहायता देते हों उनके विद्यार्थियों को ऋण देना, छात्रवृत्ति देना, निःशुल्क दुकानें देना, पुरस्कार देना तथा आर्थिक सहायता करना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहों को उपरोक्त प्रकार की सहायता देना।

१०. वाचनालय कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, संग्रहालय तथा शैक्षिक या संस्कृतिक शिविर का प्रबंध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानों तथा शिविर को समर्थन देना।

११. शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना तथा उसकी सहायता एवं उत्साह वर्धन करना।

1/7/2015

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

1-7-2015

१२. जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग या लिंग का भेद किये बिना निर्धन जरूरत मंद एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

१३. योग्य एंव जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृति अनुदान सहायता तथा पुरस्कार देना।

१४. शैक्षिक उद्देश से स्थापित संस्थानों को नगद अनुदान देना तथा पुस्तकीय एवं शैक्षणिक सामग्री या अन्य किसी रूप में दान देना।

१५. विद्यालय, वाचनालय, नि:शुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायाशाला, वृद्व-गृह, गोशाला इत्यादि का निर्माण करना।

१६. शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु तकनीकी, व्यावसायिक व विधी शिक्षण संस्थाओं की स्थापाना तथा संचालन की व्यवस्था करना।

१७. शिक्षित बेरोजगारों के लिए व्यावसायिक एंव औद्योगिक एंव विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

१८. बी.टी.सी. एवं बी.एड. कॉलेज खोलना तथा उसका प्रंबधन करना।

रूपा देवी
1/7/15

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

बृजकिशोर
1.7.2015

जिला निबंधक

न्यास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी :-

1. अनुदान, दान, उपहार, धन की वसीयत तथा सभी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो न्यास के उद्देश्यों के विपरीत न हो को मांगना, प्राप्त करना या स्वीकार करना।

2. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहण करना या इमारत बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु कोष एकत्रित करना।

3. अच्छे विचारों तथा साहित्यों को पम्पलेट, बुकलेट तथा पुस्तकों आदि के प्रकाशन द्वारा या संगोष्ठियों, सभाओं तथा कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन द्वारा प्रसारित करना।

4. न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उद्देश्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता न हो, को न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निवेशित करना तथा डील करना, जैसा कि समय-समय पर तय किया जा सकता है।

5. न्यास के उद्देश्य की तरक्की हेतु वांछित समझी जाने वाली पुस्तकों, पम्पलेट, हैण्डबिल व पोस्टरों को छपवाना, प्रकाशित करवाना तथा प्रदर्शनी लगवाना।

6. ऐसे किसी न्यास समिति, संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना, जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपरोक्त न्यास के लक्ष्य के समान हो।

7. कोई भी चीज जो उपर कही गई है या यहाँ बाद में कही गई है, उसके बावजूद न्यास कोष की आय इस प्रकार के सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु खर्च किया जायेगा, जो कि आयकर अधिनियम १९६१ या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों की आय से सम्बन्धित हो द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों, शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगा।

8. उपरोक्त प्रावधानों के अधीन विधिनुसार प्रबंधक न्यास कोष तथा अपने पास के धन को किसी सेक्योरिटी या सेक्यारिटीज में निवेशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या सेक्योरिटी को बदलने का भी अधिकार होगा।

9. न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुर्ननिर्माण करने, परिवर्तन करने, सुधारने, विकसित करने या मरम्मत करने, जैसा की प्रबंधक उचित समझते हों, इसका उन्हें विधिक अधिकार होगा।

10. प्रबंधक को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने, लेखपत्र लिखने एवं क्रय-विक्रय करने, उन सम्पत्तियों के स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ हेतु जैसा कि समय-समय पर प्रबंधक उचित समझते हों, जिसका कि उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार होगा, साथ ही लेखपत्र लिखने का भी अधिकार होगा।

चम्पा देवी
1/7/2015

बृजकिशोर
1.7.2015

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

5

11. प्रबंधक को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहित सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक विभिषिका से बचाने हेतु तथा अन्य खतरों एवं नुकसानों जिसको की प्रबंधक उचित समझते हों, समय-समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा। लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति पर जो कि बीमा होने से छूट गई हो को नुकसान पहुँचाने पर किसी भी प्रकार से उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी।

12. अचल सम्पत्तियों की आय एवं लाभ में से सभी किरायों, मुल्यों, करों तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे हुए धन को जैसा की प्रबंधक उचित समझें, भारी मरम्मत कराने में उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुर्ननिर्माण कराने या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नवनिर्माण कराने तथा इस बीच में इन व्यक्तियों द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का भी अधिकार प्रबंधक को होगा।

13. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष को किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति देने का भी प्रबंधक का अधिकार विधिक होगा।

14. सम्पूर्ण न्यास या उसके किसी भाग को ऐसे किसी समय जिसे प्रबंधक अपने पूर्ण विवेक से ठीक समझें, सार्वजनिक निलामी द्वारा बेचने या व्यक्तिगत संविदा करने या अदला-बदली करने या स्थानांतरित करने या देने (एलॉट करने) या पट्टा या दरपट्टा पर किसी भी अवधि के लिए देने, चाहे वह कितनी भी लम्बी हो या न्यास कोष की सभी सम्पत्ति जिसमें अचल सम्पत्ति भी शामिल है या उसके किसी भाग को मालिकाना के उन नियमों एवं शर्त्तों पर जिसे प्रबंधक न्यास के हित में उचित समझते हों, को निस्तारित करने तथा किसी मुहायदानामा अदला-अदली, स्थानांतरण, एलाटमेंट, पट्टा को खरीदने, समाप्त करने या बदलने तथा उपरोक्त के द्वारा किसी प्रकार की छति होने पर उसके लिए उत्तरदायी हुए बिना अधिकार होना तथा इन उद्देश्यों के लिए सभी आवश्यक लेख-पत्र या अदला-बदली, स्थानांतरण, एलॉटमेंट, पट्टा-दर-पट्टा तथा दूसरे आश्वासनों तथा सभी आवश्यक रसीदों, मोचन, मुक्त करने सम्बनी लेखपत्रों को प्रतिफल, धन या अन्य के आधार पर निष्पादित करने का अधिकार प्रबंधक को विधिक होगा। इस प्रकार के स्थानांतरण या अन्य आश्वासनों से प्राप्त आय न्यास कोष का भाग मानी जायेगी।

15. न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा-जोखा रजिस्टर विधिनुसार बनाये रखेंगे।

चम्पा देवी
1/7/15
Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

बृजकिशोर
1.7.2015

5

16. उपवर्णित शक्तियों के अन्तर्गत प्रबंधक द्वारा कुछ बेचने एवं स्थानांतरित करने पर क्रेता या क्रेतागण या जिसके पक्ष में स्थानांतरण हुआ हो और जो न्यासीगण के साथ सद्भावनापूर्वक उक्त कार्य संपादन में शामिल रहे हों, को न तो उपरोक्त संपादन हेतु उत्पन्न हुए कारण या उपरोक्त शक्तियों को देखने या जाँच करने या न्यासीगण की नियुक्ति तथा अवकाश ग्रहण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन हुआ की नहीं, इसकी जाँच करने का अधिकार होगा, न ही उपरोक्त प्रकार के विक्रय से प्राप्त धन या उसके प्रतिफल का उपयोग देखने से कोई मतलब होगा या उपरोक्त धन या प्रतिफल कहीं लगाया गया या नहीं या उससे कोई क्षति हुई, इससे न तो उनसे कोई मतलब होगा और न ही वे उत्तरदायी होंगे।

17. न्यास के लक्ष्यों के उद्देश्य से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चों का पुर्नभूगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि, कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नही होगा।

18. भारतीय न्यास अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन न्यासीगण अपने निर्बाध विवेकानुसार इस प्रकार के नियमों एवं शर्तों जिसे वे उपयुक्त एवं आवश्यक मानते हों, इस लेख-पत्र के न्यास की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास या संस्था से जोड़ या मिला सकते हैं।

चम्पा नेगी
1/7/15

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

बृजकिशोर
1.7.2015

न्यास का संचालन :-

१. "गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट" का मुख्यालय तथा कार्यकारी कार्यालय ग्राम-छाता, पोस्ट-छाता, थाना-दुर्गावती, जिला-कैमूर (भभुआ) बिहार होगा।

२. "गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट" नामक न्यास की स्थापना प्रबंधक की हैसियत से हम १,००,००० (एक लाख रू० मात्र) से कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अन्य सहयोगी न्यासीगण इस न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस धनराशि को बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे।

३. उपरोक्त न्यास के संचालन के लिए न्यास का अपना मुद्रा कोष होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में न्यास के नाम से खाता खोला जायेगा जो की प्रबंधक-सह-अध्यक्ष के हस्ताक्षर से संचालित होगा।

४. इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र जिला-कैमूर (भभुआ) बिहार होगा।

५. न्यास के बैठकों के संचालन की अध्यक्षता न्यास का प्रबंधक-सह-अध्यक्ष करेगे।

६. न्यास के सदस्यगणों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार न्यास के प्रबंधक को होगा।

७. यह न्यास अपने हित में किसी भी नये नियम का निर्माण कर सकती है या जो न्यास के हित के विरूद्व हैं, उन पुराने नियमों को समाप्त कर सकती है। नये नियम का निर्माण व पुराने नियमों को समाप्त करने का अधिकार प्रबंधक को होगा।

८. किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति दिये जाने या न्यास के प्रशासन में या अधिकारों (शक्तियों) के बारे में न्यास के किसी खंड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्राय के सम्बन्ध में न्यासीगण में मतभिन्नता होने पर उसको न्यासीगण के बहुमत के विचार द्वारा निपटाया जायेगा तथा न्यासीगण के समान रूप में विभक्त होने की स्थिति में प्रबंधक को मत देने का अधिकार होगा। प्रबंधक के मत से युक्त प्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।

९. समय-समय पर न्यास के लक्षणों, उद्देश्यों, प्रशासन तथा प्रबंधन व न्यास से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में प्रबंधक को ऑडिटर, आर्कीटेक्ट, सर्वेयर, एकाउंटेंट, वैल्यूअर, सॉलीसीटर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मैनेजर, सचिवों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों, लिपिकों तथा आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा हटाने व उन्हें इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा की प्रबंधक समय-समय पर अपने निर्बाध विवके से उपयुक्त समझे, भुगतान करने का अधिकार होगा।

चम्पा देवी
1/7/15

Jitendra Bahadur Sigh
1-7-2015

1-7-2015

१०. प्रबंधक न्यासीगण में से किसी एक को न्यायालय, ट्रिब्यूनल, प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

११. न्यासीगण न्यास के एकाउण्ट का ऑडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्रावधानों या उसके संशोधानों का पालन करेंगे।

१२. उपर तय किये गये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिय यह वैध होगा की वे स्वतंत्रतापूर्ण न्यास कोष या उसके आय को अपने अबाध विवेक से उन नियमों व शर्त्तों पर जिसे वे उचित समझते हों, किसी न्यास, न्यायों, संथानों, पंचायत स्थानीय परिषद या नगर पालीका की सामग्री या कोष में दान दे या अनुदान दे तथा न्यास या न्यासों के साथ सहयोग करते हुए कार्य करें व खर्चों में सहभागी बने या नये न्यासों को धन दें, किन्तु हमेशा इस शर्त्त पर की लाभ किसी विशेष समुदाय, धर्म, जाति या लिंग तक सीमित न हो।

१३. न्यासीगण की प्रत्येक मिटिंग की कार्यवाही का सारांश उस उद्देश्य हेतु रखी गई सारांश पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मिटिंग या अनुगामी मिटिंग के अध्यक्ष द्वारा उसपर हस्ताक्षर किया जायेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एवं हस्ताक्षरित हो जायेगी तब वह वहाँ पर किये गये कार्य या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी।

१४. न्यासीगण की न्यूनतम संख्या प्रबंधक व सदस्य सहित तीन वो सर्वसम्मति से अधिक भी हो सकती है। प्रबंधक को कुछ समय के लिए न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासिगण की नियुक्ति एकबार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा की न्यासिगण आवश्यक मानते हों करने का अधिकार होगा, किन्तु एक समय पर न्यासिगण की सं० सात से अधिक नही होगी। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर किन्ही कारणोंवश किसी न्यासी के न्यास से त्यागपत्र देने की स्थिति में प्रबंधक को इस प्रकार से मृत या त्यागपत्र दे देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासी की नियुक्ति का अधिकार होगा।

१५. कालांतर में न्यास के उत्तराधिकारी वही होंगे, जो प्रबंधक के विधिक उत्तराधिकारी हैं।

१६. कालांतर में किन्ही कारणोंवश न्यास निरस्त/विघटन हो जाता है उस परिस्थिती में न्यास की सारी चल वो अचल संपत्ति पर न्यास के प्रबंधक या उनके विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार रहेगा। जिसका उपभोग वो अपने व जनकल्याण के लिए करेगें।

१७. उपरोक्त दस्तावेज में न्यास/ न्यासीगण शब्द का आशय ट्रस्ट/ ट्रस्ट के सदस्यगणों से है।

रम्भा देवी 1/7/15

ब्रजकिशोर 1-7-2015

Jitendra Bahadur Singh 1-7-2015

१८. न्यास की मिटिंग / बैठक की अध्यक्षता प्रबंधक करेगे, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक जरूरी है तो विशेष बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यगण अपनें में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए चुन सकते हैं। चुने गये अध्यक्ष के द्वारा उस विशेष बैठक में लिए गये निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व स्थायी प्रबंधक-सह-अधयक्ष की अनुमति / अवगत कराना अनिवार्य है।

१९. महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। स्थापित न्यास अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु धन संग्रह, देश-विदेश की आम जनता एवं संस्थाओं से चंदे के रूप में एवं अनुदान के रूप में प्राप्त करेगा। किसी भी प्रकार की भूमि व भवन अन्य प्रकार का दान, पट्टा न्यास के हित में हो, प्राप्त कर सकता है, न्यास सदैव सम्पत्ति का पारदर्शी हिसाब रखेगा तथा प्रतिवर्ष अधिकार प्राप्त लोगों से उसकी जाँच करायेगा।

२०. न्यास की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एकबार अनिवार्य रूप से होगी तथा आवश्यकतानुसार प्रबंधक द्वारा सभी सहायक न्यासिगणों को दस दिन पूर्व सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकता है।

२१. यह न्यास अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साहित्य, प्रकाशन एवं वितरण करने का पूर्ण अधिकारी होगा। प्रबंधक अपने यहाँ कर्मचारी नियुक्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा। न्यास अपने यहाँ कर्मचारी नियुक्त करने तथा उन्हें पारिश्रमिक देने व अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण विश्व में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी भी नये न्यासी की नियुक्ति प्रबंधक की सहमति से किसी सुयोग्य व्यक्ति की उसकी न्यास के प्रति हित भावना को देखकर की जा सकती है।

२२. भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जन साधारण सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों, संगठनों से धन तथा नगद दान तथा चल-अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों में अधिकार उन शर्तों पर प्राप्त करना जो की प्रबंधक न्यास के उद्देश्य हेतु उचित समझते हों।

२३. प्रबंधक की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु भवन बनवाना।

२४. न्यास के लिए किसी सम्पत्ति को खरीदना एवं न्यास की सम्पत्ति को बेचने का अधिकार व सुधारने का प्रबंध करना, विकसित करना, अदला-बदली करना, लीज पर देना, मोर्गेज करने का अधिकार न्यास के प्रबंधक को होगा।

२५. न्यास के सम्बन्धित व उसके नियंत्रण की किसी सम्पत्ति या सम्पत्तियों को बेचने देना, आदान-प्रदान करना, बंधक रखना, चार्ज करना, पट्टे पर देना, जमानत को बदलना, निस्तारीत करना या अन्य प्रकार से डील करने का अधिाकार प्रबंधक को होगा।

चम्पा देवी
1/7/15

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

बृजकिशोर
1.7.2015

२६. उपरोक्त उद्देश्य हेतु ऐसे लेखपत्र पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना तथा वादा करना, जैसा की आवश्यक हो, को करने का अधिकार प्रबंधक को होगा।

२७. उपरोक्त न्यास के सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्णय को अंतिम रूप देने का अधिकार प्रबंधक को होगा तथा प्रबंधक का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। जो भी न्यासी प्रबंधक के निर्णय से संतुष्ट नही होगा, संतुष्ट न होने की स्थिति में उसका त्यागपत्र स्वतः ही समझा जायेगा।

२८. उपरोक्त न्यास के प्रबंधक, न्यास के द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के भी प्रबंधक होंगे।

२९. न्यास का संगठन "गौरव मेमोरियल ऐजुकेशनल एडं वेलफेयर ट्रस्ट" के नाम से किया गया है। इस न्यास के अंतर्गत खुलने वाले अन्य सभी शैक्षिक, चिकित्सकीय एवं अन्य संस्थानों के नामांतरण का एकाधिकार न्यास के प्रबंधक को होगा।

३०. न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गई है। अतएव यह न्यास पत्र लिख दिया की प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

तारीख तहरीर :

साक्षीगण :-

१. नाम -

पिता का नाम -

पता -

२. नाम -

पिता का नाम -

पता -

मसविदाकर्ता :-

न्यास के अन्य सामाजिक उद्देय :-

१. मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों के विकास एंव उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एंव व्यवसाय हेतु सहायता करना तथा उत्साहित करना।

२. बाढग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदाग्रस्त तथा अन्य विपत्तियों में परेशान लोगों को राहत पहुँचाना।

३. निर्धन विधवाओं के लिए संस्थानों/कोष की स्थापना करना।

४. बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्धजन के लिए आवासों की स्थापना एवं रखरखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिए शुल्क में छूट कुछ शर्तों पर देकर (एक निश्चित अवधि कि लिए देकर) करना जिसमें शर्तों तथा अवधि का निर्धारण न्यासीगण जैसा उचित समझेंगें करेंगें।

५. जल की कमी वाले क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी हो वहाँ कुँआ खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना।

६. न्यास के कार्य क्षेत्र में महिलाओं हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, नारी-निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, आँगन बाड़ी, बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना करना, संचालन करना व हर प्रकार का प्रशिक्षण देना।

७. अनाथ बच्चों, विकलांगों, महिलाओं, नवयुवकों को सभी प्रकार के प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना।

८. उन योजनाओं का संचालन करना जिनसे ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, नवयुवकों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर तथा उनको प्रशिक्षित करके स्वावलंबी बनाना।

९. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी कमीशन एवं सरकार एवं अन्य क्षेत्रें से सहायता प्राप्त करके ग्रामोद्योगों को चलाना।

१०. हरिजन, निर्बल वर्ग अल्पसंख्यकों, महिलाओं, ग्रामीणों आदि के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं द्वारा उन्हें लाभान्वित कराने में सहयोग करना।

११. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समान उद्देश्यों वाले किसी न्यास या संस्थान को न्यास में शामिल कर उसमें सहयोग करना या उसके साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रबंधक की सहमति से कार्य करना, जैसा की कानुन द्वारा अनुमान्य हो।

१२. ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने, भौतिक समृद्धि प्रदान करने, सामाजिक न्याय एवं समानता दिलाने तथा उनके बौद्धिक, शारीरिक एवं सामाजिक पक्ष को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधायों को संचालित करना।

१३. सामुदायिक विवाह तथा विवाह की रस्मों को पूर्ण करवाने में सहायता देना तथा सामुहिक विवाह का आयोजन एवं प्रोत्साहन करना।

१४. न्यासीगण द्वारा किये गये को करना, जो जनसामान्य के लिए लाभदायक हो।

१५. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सरकार की नीतियों का ग्रामिण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करना।

1/7/15 1.7.2015

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

१६. वैकल्पिक उर्जा स्त्रेतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुआ मजदुरी उन्मुलन, दहेज उन्मुलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज भारत सरकार की योजना के प्रचार प्रसार के लिए, जागरूकता कार्यक्रम तथा संबन्धित अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

१७. खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा केन्द्र सरकार के कृषि नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करना। कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि उत्पादन तथा विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्य करना।

१८. बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास करना, इस कार्य में लिप्त लोगों के पुर्नवास, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा एड्स के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाना।

१९. पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, उसर भूमि सुधार, शौचालय, जन जागरण, सार्वजनिक कॉम्पलेक्स, स्वच्छ जलापूर्ति आदि कार्यक्रमों का प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रचार-प्रसार करना।

२०. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा कुटिर उद्योग की स्थापना करके स्थानीय स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना तथा क्षेत्र के लोगों में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करते हुए उन्हें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग की तकनिकी नीतियों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना तथा समस्त आय को न्यास के उददेश्य पूर्ति तथा चैरिटेबल कार्यों में व्यय करना।

२१. लोगों को अल्प ऋण के प्रति प्रेरित करना तथा स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना तथा इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड, सिडबी आदि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

२२. पशु उत्पीड़न रोकना व उनका निःशुल्क चिकित्सा, पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा विलुप्त हो रहे जीव-जन्तुओं के संर्वधान व संरक्षण हेतु प्रयास/अनुसंधान करना।

२३. मतस्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त कराना।

२४. विज्ञान का जीवन में उपयोग के प्रति जनसामान्य को जागरूक बनाना, तकनीक पर आधारित कम लागत में भवन/आवास कृषि यंत्र/दैनिक उपयोग की वस्तुओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानांतरण तथा प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना।

२५. आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा थारू समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभाग की व्यवस्था करना।

पुष्पा देवी
1/7/2015

बृजकिशोर
1.7.2015

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

२६. केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए माध्यम का कार्य करना।

२७. युवाओं का मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक स्वास्थ्य, शैक्षिक तथा स्वरोजगार का विकास करना तथा बच्चों/युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उन्हें समाजसेवा व स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाना।

२८. राष्ट्रीय मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार / कार्यशाला, कार्यक्रम सांस्कृतिक शोधपत्र प्रकाशन, विशिष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था का प्रयास करना।

२९. परम्परागत सांस्कृतिक विधियों को बढ़ावा देना, नृत्य, लोकगीत, आल्हा, नौटंकी आदि की विलुप्त हो रही परम्पराओं को पुनः जागृत करना, नृत्य, गायन, संगीत आदि के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण व अनुसंधान का कार्य करना।

३०. न्यास का मुख्य उद्देश्य गैर लाभकारी (चैरिटैबल) न्यास के रूप में सम्पूर्ण कार्यों का न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक कार्यों पर व्यय करना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रतिष्ठानों केन्द्र/राज्य सरकारों, बैंक से अनुदान तथा चल-अचल सम्पत्ति व ऋण प्राप्त करना तथा उनका उपयोग न्यास के उद्देश्य पूर्ति हेतु करना।

३१. कार्यक्षेत्र में विज्ञान, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास के कार्य करना एवं श्रमिक/महिला/दलित/आदिवासी/समुदाय/युवाओं व बच्चों के शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, चारित्रिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना, इस कार्य हेतु विभिन्न कार्यक्षेत्रों की संस्था की शाखाऐं/केन्द्र खोलना तथा चलाना।

३२. वाटर शेड, जल संग्रहण क्षेत्र विकास प्रक्रिया के माध्यम से आकृषि भूमि एवं जल संसाधन विकास कार्यों का संपादन शासन/भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित करना।

३३. गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले लोगों के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।

३४. न्यास के उद्देश्य सरकारी/गैरसरकारी संरचना जैसे सड़क, इन्दिरा आवास, सरकारी आवास, कार्यालय का सरकारी ऋण/अनुदान के माध्यम से निर्माण/रख-रखाव, सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करना।

३५. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

३६. कृषि एवं पर्यावरण विकास हेतु कार्य करना।

रंजना देवी
1/7/2015

Jitendra Bahadur Singh
1-7-2015

बृजकिशोर
1-7-2015

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 6000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 8560/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	2000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		3000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	560
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 3560

Registering Officer
Kaimur

Date: 01/07/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Kaimur (Bhabhua) on Wednesday, 01st July 2015 by ~~Chama~~ Champa Devi Om Prakash Singh by profession House Wife. Status - Trustee

चम्पा देवी

Registering Officer
Kaimur (Bhabhua)

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:01/07/2015

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Dhananjay Singh' age '41' Sex 'M', 'Siddhanath Singh', resident of 'Vill- Chhata Ps- Durgawati Kaimur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Kaimur

Date : 01/07/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Kaimur (Bhabhua) in Book 4 Volume No. 1 on pages on 306 -333 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-1 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Kaimur

Date : 01/07/2015

Token No. : 4516 Year : 2015 S.No. : 4348 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 22